[25/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 6040]

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा म0प्र0

लघु शास्ति हेतु आरोप ज्ञापन

म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का नियम 16 (1) (क)

रीवा दिनांक

---000---

क्रमांक /6–वि/वि.जा/2021 : श्री रामनिवास गुप्ता, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड सीधी जिला सीधी को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या कदाचार के अभिकथन जिन पर उपर्युक्त कार्यवाही प्रस्तावित है, संलग्न है।

श्री रामनिवास गुप्ता, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड सीधी जिला सीधी को उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध जैसा की वह चाहें पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतद द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि श्री रामनिवास गुप्ता, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड सीधी जिला सीधी, इस ज्ञापन की तिथि से प्राप्ति की तिथि से 10 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते है तो यह माना जायेगा कि उन्हें कुछ नही कहना है तथा उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये जायेंगे।

इस ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जावें।

संलग्न--कदाचार का अभिकथन।

(राजेश कुमार जैन)
कमिश्नर
रीवा संभाग, रीवा

पृ0क्र0/6–वि./वि.जां/2021/ 799 रीवा, दिनांक 24/2/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला सीधी। कृपया श्री गुप्ता को संबोधित कारण बताओ सूचना पत्र संलग्न प्रेषित है, उन्हे तामील कराकर उनकी पावती इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग रीवा।
4. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग रीवा मण्डल, रीवा।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग सीधी।
6. श्री रामनिवास गुप्ता, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड सीधी जिला सीधी।

कमिश्नर
रीवा संभाग रीवा

श्री रामनिवास गुप्ता, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड सीधी जिला सीधी के विरूद्ध अवचार या कदाचार के अभिकथन

<u>कदाचार के अभिकथन</u>– कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक 108/3–बी/स्था./2021, दिनांक 12.02.2021 के अनुसार दैनिक नवभारत समाचार पत्र दिनांक 29/31.08.2020 को प्रकाशित समाचार पत्रो में लोक निर्माण विभाग सीधी के स्टोर क्रमांक–2 से 25 क्विंटल लोहा एवं लोक निर्माण विभाग मझौली से सीधी लाया गया 20 क्विंटल लोहा गायब होने के संबंध में पत्र दिनांक 20.09.2020 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड गोपदबनास जिला सीधी से तथ्यों की जॉच कर प्रतिवेदन चाहा गया। जॉच अधिकारी द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित खबर अनुसार पत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा आपसे नोटिस जारी कर स्टोर क्रमांक 2 का 25 क्विंटल लोहा एवं मझौली से लाया गया 20 क्विंटल लोहा तथा अन्य गायब हुई सामग्रियो के संबंध में दस्तावेज के साथ उत्तर चाहा गया, किन्तु आपके द्वारा निर्धारित अवधि के पश्चात जवाव प्रस्तुत किया गया, आपके द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 07.10.2020 में प्रस्तुत तथ्य अनुसार सामग्री का सत्यापन श्री सतीश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री द्वारा किये जाने का लेख किया गया है, किन्तु आवश्यक दस्तावेज एवं स्टाक पंजी प्रस्तुत नही की गई, मझौली से सामग्री किस सक्षम अधिकारी के द्वारा मॅगाई गई तथा किस प्राधिकार से भेजी गई, सामग्री किस अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई आदि का उल्लेख नही किया गया, आपके द्वारा अपने जबाव में लेख किया है कि स्टोर संबंधी आवक जावक रजिस्टर उनके पास नही है, बल्कि अधीक्षण यंत्री, लो0नि0वि0 रीवा कार्यालय में जॉच हेतु भेजा गया है, शेष के संबंध में लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0 उप संभाग सीधी बाम्बे में एडमिट है, जिससे आवश्यक दस्तावेज स्टाक पंजी उपलब्ध नही कराई जा सकी। अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0 सीधी के पत्र दिनांक 06.02.2021 अनुसार स्टोर संबंधी आवक जावक रजिस्टर अधीक्षण यंत्री लो0नि0वि0 रीवा कार्यालय में जॉच हेतु नही भेजा गया है, इसी तरह अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0 उप संभाग सीधी के पत्र दिनांक 01.04.2019 से 30.11.2019 तक एम. एस. लेखा की मूल पंजी एवं भण्डार से पार्ट–2 लेखा की मूल पंजी चाही गई थी,

जो आज दिनांक तक आपके द्वारा प्रस्तुत नही की गई तथा इसके पूर्व भी आपके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये।

उक्त शिकायत के संबंध में अधीक्षण यंत्री, लो0नि0वि0 रीवा मण्डल रीवा द्वारा भी पत्र क्रमांक 7348 दिनांक 13.07.2020 से अभिलेख चाहे गये थे, किन्तु आपके द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया, इसके अतिरिक्त शिकायत में उल्लिखित 25 क्विंटल लोहे के संबंध में आपके द्वारा अभिलेख आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया गया, शासकीय अभिलेख कार्यालयीन अभिलेख हैं, मात्र अनुविभागीय अधिकारी, लो0नि0वि0 सीधी के चिकित्सकीय अवकाश में चले जाने से स्टाक पंजी एवं इंडेन्ट पंजी तथा अन्य अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना आपके द्वारा अभिलेखो का छुपाया जाना कारित करता है, आपके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा बार–बार अभिलेख चाहे जाने पर अभिलेख न सौप कर कभी कहना कि अधीक्षण यंत्री के पास जॉच हेतु जमा है, कभी कहना कि अनुविभागीय अधिकारी अवकाश में है आदि बहाने दर्शाकर सौपे गये पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप दोषी है।

उपर्युक्तानुसार आपका यह कृत्य म0प्र0 सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम 3 के विपरीत है जिसके लिए आप दोषी है। अस्तु कारण दर्शित करें कि क्यों न आपकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर लघु शास्ति से दण्डित किया जाए?

(राजेश कुमार जैन)
कमिश्नर
रीवा संभाग, रीवा